राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

स.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 748/2024

तेजा राम पुत्र जीवन राम, उम्र लगभग 64 वर्ष, बी/सी बिश्नोई, निवासी गांव नगरासर, तहसील बज्जू, जिला बीकानेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, गृह विभाग, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।

3. पुलिस उपाधीक्षक, अरविंद बिश्नोई, सर्किल बज्जू, बीकानेर।

4. उप निरीक्षक रामकेश मीना, पी.एस. बज्जू, बीकानेर। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री एच.एस. श्रीमाली

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री अभिषेक पुरोहित, ए.जी.ए.

माननीय श्री न्यायमूर्ति फरजंद अली

<u>आदेश</u>

रिपोर्ट योग्य

<u>13/05/2024</u>

1. शिकायतकर्ता/पीड़ित की ओर से इस मामले में आगे की जांच करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को कुछ निर्देश जारी करने के लिए इस

न्यायालय से अनुग्रह की मांग करते हुए तत्काल आपराधिक रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

2. विस्तृत विवरण के बिना, मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता के कहने पर सामूहिक बलात्कार, अपहरण, अवैध कारावास के अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो आईपीसी की धारा 376 (डी), 365, 342 और 34 के तहत दंडनीय है और साथ ही पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय यौन उत्पीड़न का अपराध है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की गई, हालांकि, जांच के बाद, काफी हद तक, अपराध साबित नहीं हुआ। जांच अधिकारी का मत था कि महेंद्र बिश्नोई और अशोक बिश्नोई के विरुद्ध केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत अपराध पाया गया और तदनुसार, धारा 173 सीआरपीसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की अदालत में प्रस्तुत की गई।

3. मामले की बारीकियों पर विचार करते समय, एक गंभीर विकृति और प्रक्रियात्मक त्रुटि देखी गई है। पीड़िता/शिकायतकर्ता का दुख है कि उसके साथ पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया गया। जांच के बाद उक्त आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। इस अदालत का मानना है कि जांच दृष्टिकोण और निष्कर्ष के खिलाफ विरोध करने का एक अवसर पीड़िता/शिकायतकर्ता को प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उसे संज्ञान लेने के लिए सक्षम अदालत के समक्ष कथित अपराध का संज्ञान लेने का आग्रह करने का अवसर मिल सके। यह मानते हुए कि यह POCSO अधिनियम से संबंधित अपराधों का एक सरल मामला था जिसमें जांच के बाद एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है, अंतिम रिपोर्ट POCSO न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। विशेष न्यायालय होने के नाते, अपराध का संज्ञान केवल विशेष न्यायालय द्वारा ही लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में भी, एफआईआर दर्ज

करने के बाद उसे सीआरपीसी की धारा 157 के अनुपालन में विशेष न्यायाधीश POCSO अधिनियम मामलों की अदालत में भेजा जाना चाहिए। यहाँ इस मामले में, हालांकि POCSO अधिनियम से संबंधित आरोप भी थे, लेकिन उपरोक्त सीमा तक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जो POCSO अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत नहीं है। इस स्थिति में पीड़ित/शिकायतकर्ता को अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध दर्ज कराने और संज्ञान लेने की प्रार्थना करने से वंचित कर दिया गया है जो कानून और न्याय की भावना के खिलाफ है।

4. कानूनी स्थिति में कोई विरोधाभास नहीं है कि नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट/क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पर पीड़ित/शिकायतकर्ता को विरोध याचिका दायर करने का अधिकार है। उक्त विरोध याचिका को आपराधिक शिकायत के रूप में लिया जा सकता है और माना जा सकता है। क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में आपराधिक न्यायालय को मामले में आगे की जांच करने के लिए मामले को पुलिस को वापस भेजने का अधिकार है। न्यायालय धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है क्योंकि जांच अधिकारी की राय न तो निर्णायक है और न ही न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। यदि न्यायालय को लगता है कि जांच सीआरपीसी के अध्याय XV के तहत परिकल्पित तरीके से की जानी चाहिए। वह विरोध याचिका को आपराधिक शिकायत के रूप में मानेगा और उसके बाद पीड़िता/शिकायतकर्ता से धारा 200 के तहत और अन्य गवाहों से सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पूछताछ की जा सकेगी। यदि एजेंसी से कोई सहायता मांगी जाती है तो सीआरपीसी की धारा 202 (2) के तहत संबंधित को निर्देश दिए जा सकते हैं जो केवल पुलिस तक सीमित नहीं है। जांच पूरी होने के बाद वह धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर सकता है या आरोपी के

खिलाफ सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी कर सकता है। कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि इस मामले में पीड़िता को कानून का सहारा लेने से वंचित किया गया है और उसे पोक्सो प्रावधानों के तहत अपराध के संबंध में अपनी शिकायत के लिए प्रार्थना करने से वंचित किया गया है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित AIR 1285 में भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि आंशिक अंतिम रिपोर्ट के मामले में भी शिकायतकर्ता/पीड़ित को सूचित किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच तंत्र को गति देने वाले मुखबिर को यह पता होना चाहिए कि उसके कहने पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई जांच का परिणाम क्या है। पुलिस द्वारा जांच करने के उद्देश्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में पहल करने वाले सूचक को यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई अपराध किया गया है और यदि किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, जांच के परिणाम में महत्वपूर्ण रुचि है और इसलिए कानून की आवश्यकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाना चाहिए और धारा 173 की उपधारा (2) (i) के तहत मजिस्ट्रेट को ऐसे अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट भी उसे दी जानी चाहिए, ताकि वह न्याय की मांग कर सके या अपनी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत कर सके। वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी ऑडी अल्टरम पार्टम के तहत सुनवाई का अधिकार भी रखता है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि पुलिस द्वारा इस मामले में उसे सक्षम मंच उपलब्ध नहीं कराया गया था, जो कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 11.01.2024 के आदेश से परिलक्षित होता है।

6. पोक्सो अधिनियम के अनुसार, पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने पर अन्य अपराधों के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के प्रावधान एक विशेष अधिनियम होने के नाते आकर्षित होते हैं और विधि में परिकल्पित प्रक्रिया उक्त अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए। जहां पोक्सो अधिनियम की धारा 28 (2) के तहत पोक्सो अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय को अन्य अपराधों की भी सुनवाई करने का अधिकार है, जिसमें आरोपी पर उसी मुकदमे के तहत आरोप लगाया गया है। यह भी उचित है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 33 (1) के तहत विशेष न्यायालय को किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है, बिना आरोपी को मुकदमे के लिए सौंपे, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, उसी मुकदमे में अन्य अपराधों की सुनवाई करने की समावेशी शक्ति प्रदान करते हुए। जैसा कि उपर्युक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मामले में कार्यवाही क्षेत्राधिकार के साथ-साथ संज्ञान लेने के लिए न्यायालय की योग्यता के दृष्टिकोण से भी त्रुटिपूर्ण थी।

7. पोक्सो अधिनियम के तहत उपर्युक्त कानूनी प्रावधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि इस मामले में वास्तव में प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है। इस मामले में धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट पोक्सो अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत की जानी थी, जिसमें पोक्सो अधिनियम के तहत मामले को साबित करने के लिए नहीं बल्कि केवल 89 किशोर न्याय अधिनियम और 363 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए उल्लेख किया गया था और उस स्थिति में विद्वान न्यायाधीश पीड़िता/शिकायतकर्ता को पोक्सो अधिनियम के तहत समापन रिपोर्ट के लिए विरोध करने में सक्षम बनाने के लिए एक नोटिस भेजेंगे। जिसके बाद, यदि वह विरोध करती है तो विद्वान न्यायाधीश को सुनवाई

करनी चाहिए और उचित आदेश पारित करना चाहिए। यदि पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध सिद्ध नहीं पाया जाता है तो वह मामले को उचित फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वापस भेज देगा।

8. इस न्यायालय का मत है कि मजिस्ट्रेट को डाकिया या रिसीवर के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसे अपने स्वतंत्र विचार का प्रयोग करना चाहिए था। यदि उसे लगता है कि आईपीसी की धारा 376 डी, 365, 342 और 34 के तहत अपराध के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध की सीमा तक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट सही थी, तब भी शिकायतकर्ता/पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। ऐसा न करके विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वास्तव में विधिक त्रुटि की है। इस प्रकार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोलायत द्वारा पारित दिनांक 11.01.2024 का आदेश अपराध का संज्ञान लेने की सीमा तक अपास्त किए जाने योग्य है।

9. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप विविध याचिका स्वीकार की जाती है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 11.01.2024 का आदेश अपराध का संज्ञान लेने से संबंधित सीमा तक निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। अभियुक्त को जमानत का आदेश लागू रहेगा। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट वापस थाना प्रभारी को भेजेंगे तथा उसके बाद थाना प्रभारी बिना किसी अनावश्यक देरी के विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मामलों की अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विद्वान न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मामले पीड़िता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे। उसके बाद ही वह संज्ञान के बिंदु पर आदेश पारित करेंगे। यदि पोक्सो के तहत अपराध सिद्ध हो जाता है तो वह मामले में कानून द्वारा निर्धारित तरीके से आगे की कार्यवाही करेंगे, लेकिन यदि उक्त अपराध सिद्ध नहीं होता है तो वह मामले को उचित फोरम के समक्ष

दाखिल करने के लिए पुलिस को वापस कर देंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोपी व्यक्ति जमानत पर रहेगा।

10. भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए यह उचित समझा जाता है कि इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजी जाए, ताकि राज्य भर के सभी पुलिस थानों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा सकें। इसके बाद, यदि कोई मामला POCSO अधिनियम के तहत आने वाले अपराध के लिए संयुक्त आरोपों के साथ पंजीकृत है, जिसमें अन्य अपराधों के साथ POCSO अपराधों के संबंध में एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है, तो भी POCSO अधिनियम के मामलों के विद्वान न्यायाधीश की अदालत के समक्ष निपटान के लिए अंतिम रिपोर्ट को अग्रेषित करना आवश्यक है और पुलिस द्वारा इसका पालन किया जाएगा। यह आदेश भविष्य में ऐसी आकस्मिक स्थिति, प्रक्रियात्मक त्रुटि से बचने और पीड़ित / शिकायतकर्ता के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से जारी किया गया है, ताकि उन्हें निष्पक्ष जांच और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर स्थापित न्याय वितरण प्रणाली का उचित अनुपालन प्रदान किया जा सके।

(**फरजंद अली**), जे

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।